प्रेषक,

लाल धीरेन्द्र राव,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियंता (विकास)/विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग,उ0प्र0
लखनऊ।

लोक निर्माण अनुभाग-10 **लखनऊ दिनांक 29 सितम्बर, 2023**

विषयः- **वित्तीय वर्ष 2023-2024 में राज्य योजना (सामान्य) के अनुदान सं0-57/83 के अंतर्गत विभिन्न जनपदों के 11 चालू सेतुओं के निर्माण कार्यों हेतु धनराशि का आवंटन।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियंता (सेतु), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ के पत्र (निम्न तालिका के स्तम्भ-2 में उल्लिखित) के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि निम्न विवरणानुसार **राज्य योजना (सामान्य) के अनुदान सं0-57/83 के अंतर्गत विभिन्न जनपदों के 11 सेतुओं के चालू निर्माण कार्यों हेतु** निम्न तालिका के स्तम्भ-5 में उल्लिखित शासनादेश द्वारा निर्गत प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के क्रम में वित्तीय वर्ष 2023-24 में रू0 6093.82 लाख (रूपये साठ करोड़ तिरानबे लाख बयासी हजार मात्र) की धनराशि अवमुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं-

(धनराशि रू0 लाख में)

क्रं0	कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, उ0प्र0 (31 वां वृत्त सेतु) लो0नि0वि0 लखनऊ के पत्र सं0	खण्ड जनपद का नाम	कार्य	स्वीकृति का शासनादेश संख्या	स्वीकृत लागत / प्राविधिक लागत / गठित अनुबन्ध की लागत	गठित अनुबन्ध के आधार पर बचत	बचत के उपरान्त कार्य की लागत	पूर्व में आंवटित धनराशि	अवशेष	क्षेत्र से मांग	वित्तीय वर्ष 2023-24 में आवंटन		
											अनुदान सं0-57	अनुदान सं0-83	योग (12+13)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	6189/ सीई-एसईबी/ आर वाईबी/ जीके पी /2023-24 दिनांक 22-09-2023	**सेतु निगम कुशीनगर**	जनपद कुशीनगर में बडहरा लक्ष्मीपुर(पिपरहिया) अथरहा मार्ग के अथरहा घाट पर छोटी गण्डक नदी पर सेतु पहुंच मार्ग, अति0 पहुंच मार्ग एवं सुरक्षात्मक कार्य के निर्माण कार्य।	**58/2020/2073/23-10-19-62(सेतु)2019 -दि0 26-03-2020**	1060.09/ 1053.20/	0.00	1053.20	1007.08	46.12	45.62	**35.94**	**9.68**	**45.62**

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

2	6188/ सीई-एसईबी / आरवाई बी/ बीएआर /2023-24 दिनांक 22-09-2023	**सेतु निगम शाहजहांपुर**	जनपद शाहजहापुर में जी0 आई0सी0 से अठसलिया रेलवे फाटक तक)लम्बाई 3.95 किमी0) मार्ग के चार लेन चौडीकरण के संरेखण में दो लेन खन्नौत नदी सेतु , पहुँच मार्ग एवं सुरक्षात्मक कार्य के निर्माण।	**203/2022/ 1054/23-10-22-13(सेतु)22 - दि0 -27-12-2022**	1214.22/ 1207.50/ -	0.00	1207.50	603.75	603.75	603.75	**475.69**	**128.06**	**603.75**
3		**सेतु निगम शाहजहांपुर**	जनपद शाहजहापुर में जलालाबाद - शमशाबाद मार्ग पर नव घोषित राज्य मार्ग -163 के चौडीकरण एवं सुदृढीकरण के संरेखण में ढाई गांव के निकट सोत नदी पर सेतु , पहुँच मार्ग एवं सुरक्षात्मक कार्य के निर्माण।	**203/2022/ 1054/ 23-10-22-13 (सेतु) / 22- दि0 -27-12-2022**	1103.33/ 1039.36/ -	0.00	1039.36	470.91	568.45	568.45	**447.88**	**120.57**	**568.45**
4	6192 / सीई-एसईबी / आरवाई बी /बीए एस /2023-24 दिनांक 22-09-2023	**सेतु निगम बस्ती**	जनपद बस्ती में विकास खण्ड कुदरहा में कुआनों नदी पर स्थित गोनार कछुआरे घाट पर सेतु , पहुँच मार्ग, अतिरिक्त पहुँच मार्ग, सुरक्षात्मक कार्य के निर्माण कार्य एवं भूमि अध्याप्ति कार्य।	**131/2021/ 1380/ 23-10-21-53 (सेतु) /2021- दि 0 - 27-12-2021**	1290.38/ 1221.22/	0.00	1221.22	50.00	1171.22	1100	**866.69**	**233.31**	**1100.00**
5	6187/ सीई-एसईबी / आरवाई बी /पी आरजे /2023-24 दिनांक 22-09-2023	**सेतु निगम फतेहपुर**	जनपद फतेहपुर में विकास खण्ड खजुहा ग्राम रणमस्तपुर व नरैचा ग्राम के मध्य रिन्द नदी पर प्रस्तावित सेतु , पहुँच मार्ग , अतिरिक्त पहुँच मार्ग एवं सुरक्षात्मक कार्य के निर्माण कार्य।	**67/2023/ 001-1351/23-10-22-16 (सेतु) /2022 टी 0 सी 0 दि 0 03-03-2023**	1554.11/ 1554.11/	0.00	1554.11	388. 53	1087.87	1087.87	**857.13**	**230.74**	**1087.87**

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

6	6193/ सीई-एसईबी / आरवाई बी / एम आई आर /2023-24 दिनांक 22-09-2023	**सेतु निगम मिर्जापुर**	गंगा नदी /मिर्जापुर -वाराणसी मार्ग) वायाकछवा (बालू घाट पर सेतु	**116/2016 /130आ0/ 23-10-15-101 (setu)/2011- दिनांक- 29-06-2016**	7649.51/ 7649.51/ 7649.51	0.00	7649.51	7617.10	32.41	29.77	**23.46**	**6.31**	**29.77**
7	6190/ सीई-एसईबी / आरवाई बी /जे एच ए /2023-24 दिनांक 22-09-2023	**सेतु निगम जालौन**	जनपद जालौन में विधानसभा क्षेत्र माधौगढ़ के माधौगढ़ ब्लाक के अन्तर्गत नदीगांव -हीरापुर -अनधोरा -सरे -लहार मार्ग पर मृगा नदी पर सेतु, पहुँच मार्ग, अतिरिक्त पहुँच मार्ग एवं सुरक्षात्मक कार्य	**104/2021 /999/ 23-10-21-03 (सेतु) 2021 दि0 26-11-2021**	688.61/ 688.61/ 688.61	0.00	688. 61	344. 30	344.31	344.31	271.28	73.03	344.31
8	6274/ सीई-एसईबी / आरवाई बी /जे एच ए /2023-24 दिनांक 25-09-2023	**सेतु निगम जालौन**	जनपद जालौन में बिलरायां -पनवाड़ी) राज्य मार्ग सं0-21) के किमी -346 पर कोंचमलंगा नाले पर सेतु, पहुँच मार्ग एवं सुरक्षात्मक कार्य।	**02/2022/ 715/23-10-21-18 (सेतु) / 2021 दि0 05-01-2022**	778.40/ 778.40/ 778.40	0.00	778. 40	194. 60	583.80	194.6	**153.33**	**41.27**	**194.60**
9	6278/ सीई-एसईबी/ आरवाई बी / एम आईआर /2023-24 दिनांक 25-09-2023	**सेतु निगम सोनभद्र**	जनपद सोनभद्र में ओबरा विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत ओबरा थर्मल पॉवर के निकट राखी सेतु के पास (रेनु नदी पर सेतु, पहुँच मार्ग, अतिरिक्त पहुँच मार्ग, सुरक्षात्मक कार्य एवं भूमि अध्याप्ति के निर्माण कार्य।	**91/2021/ 305/23-10-21-88 (सेतु) / 2020 दिनांक - 07-10 - 2021**	7325.43/ 7269.25/ 7269.25	0.00	7269.25	6905.78	363.47	363.47	**286.38**	**77.09**	**363.47**
10	6039/ सीई-एसईबी/ आरवाई बी / जीकेपी /2023-24 दिनांक 18-09-2023	**सेतु निगम कुशीनगर**	जनपद कुशीनगर में रामपुर गोनहा छितौनी मार्ग के मदरहवा घाट पर छोटी गंडक नदी पर सेतु, पहुँच मार्ग, अतिरिक्त पहुँच मार्ग एवं सुरक्षात्मक कार्य।	**02/2021/ 1297/23-10-20-51(सेतु) / 2020- दिनांक- 08-01-2021**	964.19/ 959.10	0.00	959.10	915.98	48.21	38.03	**29.96**	**8.07**	**38.03**

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

11		**सेतु निगम देवरिया**	सरयू (घाघरा) नदी/ परसिया देवार एवं बरहज के मध्य सेतु	**116/2022 /1054/23 -10-22-195 (सेतु)/2013- दिनांक-19-09-2022**	16114.43 / 16114.43	0.01	16114.42	10049.97	1717.95	1717.95	**1353.57**	**364.38**	**1717.95**
			योग :-			**0.01**	**38067.67**	**27620.57**	**6567.56**	**6093.82**	**4801.31**	**1292.51**	**6093.82**

अवमुक्त धनराशि रू0 6093.82 लाख (रूपये साठ करोड़ तिरानबे लाख बयासी हजार मात्र)

नियम व शर्ते/प्रतिबन्धों

(1) उक्त धनराशि केवल अंकित परियोजना पर ही मानक व विशिष्टियों के अनुरूप व्यय की जायेगी तथा इसका उपयोग अन्य किसी प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा।

(2) राज्य योजनान्तर्गत निर्माणाधीन सेतु की गुणवत्ता एवं निर्माण की प्रगति की नियमित समीक्षा कर निर्धारित समयान्तर्गत पूर्ण किया जाय तथा समीक्षा रिपोर्ट नियमित रूप से उपलब्ध करायी जाय।

(3) उक्त सेतु के अंश, लोक निर्माण अंश में अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष पृथक-पृथक वित्तीय प्रगति सहित वास्तविक भौतिक प्रगति तथा उपयोगिता प्रमाण-पत्र एवं उनके स्थलीय रंगीन स्पष्ट फोटोग्राफ शासन को उपलब्ध कराया जाय।

(4) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023, दिनांक 17 मार्च, 2023 में दिये गये दिशा निर्देशों का अक्षरश: अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(5) उक्त तालिका के स्तम्भ-5 में अंकित मूल स्वीकृति के शासनादेशों में उल्लिखित शर्तें व प्रतिबंध आदि यथावत लागू रहेंगी।

(6) लोक निर्माण विभाग में वर्तमान में प्रचलित व्यवस्थानुसार बजट का ऑनलाईन आवंटन किये जाने हेतु डी.डी.ओ. कोड आवंटन विषयक वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश सं.-10/2022/बी-1-345/दस-2022, दिनांक 04.05.2022 निर्गत किया गया है। अत: अब समस्त धनराशि का आहरण-वितरण सम्बन्धी कार्य, आहरण-वितरण अधिकारी द्वारा वित्तीय हस्तपुस्तिका भाग-6 में निहित प्राविधानों एवं सम्बन्धित वित्तीय नियमों/शासनादेशों व उक्त शासनादेश दिनांक 04.05.2022 में निहित व्यवस्था के अधीन किया जायेगा।

(7) यदि उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव व सूचनाओं में कोई विसंगति/त्रुटि पायी जाती है, तो इसके लिए मुख्यालय/निगम/क्षेत्र के संबंधित अधिकारी पूर्णरूपेण उत्तरदायी होंगे। इसके अतिरिक्त मुख्यालय/निगम/क्षेत्र के संबंधित अधिकारियों द्वारा यदि किसी प्रस्ताव में कोई गलत सूचना देकर या छिपाकर अधिक धनराशि शासन से अवमुक्त करा ली जाती है अथवा व्यपगत धनराशि को चालू कार्य के रूप में स्वीकृत करा लिया जाता है, तो उनके विरूद्व कठोर कार्यवाही के साथ ही यथापेक्षित धनराशि की वसूली भी सुनिश्चित की जायेगी।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय (1) रुपये 48,01,31,000 (रुपये अड़तालीस करोड़ एक लाख इकतीस हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 20232024 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 057 **लेखा शीर्षक** 5054041010421 कृषि विपणन सुविधा हेतु ग्रामीण सेतु निर्माण कार्य (चालू योजना) **मानक मद** 24 वृहत् निर्माण कार्य (2) रुपये 12,92,51,000 (रुपये बारह करोड़ बानबे लाख इक्यावन हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 20232024 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 083 **लेखा शीर्षक** 5054047891400 कृषि विपणन सुविधाओं हेतु ग्रामीण सेतुओं का निर्माण (चालू कार्य) **मानक मद** 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023, दिनांक-17 मार्च 2023 व कार्यालय ज्ञाप संख्या-10/2023/बी-1-602/दस-2023-231/2023,

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

दिनांक-19 सितम्बर, 2023 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(लाल धीरेन्द्र राव)
विशेष सचिव।

संख्या-186/2023/1293/001-1293-23-10-2023-23-10099-15-2023 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित –

(1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज ।
(2) महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज ।
(3) संबंधित मण्डलायुक्त/संबंधित जिलाधिकारी ।
(4) संबंधित मुख्य अभियंता, लोक निर्माण विभाग ।
(5) मुख्य अभियंता (सेतु), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ ।
(6) प्रबंध निदेशक, उ0प्र0 राज्य सेतु निगम लि0, लखनऊ।
(7) मुख्य कोषाधिकारी, आर्दश कोषागार, कलेक्ट्रेट लखनऊ।
(8) संबंधित कोषाधिकारी।
(9) वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8।
(10) राज्य योजना आयोग अनुभाग-1/2 ।
(11) श्री राजेश प्रताप सिंह (उप सचिव/नोडल अधिकारी), लोक निर्माण विभाग ।
(12) गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

(अभय प्रताप श्रीवास्तव)
अनुसचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।